न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 244 / 2024(जी.सी.एम.एस. 2024 / 388)

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. गुरबचन सिंह कंग पुत्र पाल सिंह कंग जाति जटसिख निवासी चक 7 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. मनजिन्द्र कौर कंग पत्नी गुरबचन सिंह कंग जाति जटसिख निवासी चक 7 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।	1. प्रीतम सिंह पुत्र जवन्द सिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 16.12.2024

उपस्थित: 1. श्री मनीष जागिंड अधिवक्ता वादी
2. श्री प्रेम कुमार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

——निर्णय—— **दिनांक: 17.01.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 7 डब्ल्यू, पटवार मण्डल रामगढ़संगर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 31/29 में कुल 4.3410 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 आपस में संगे भाई है तथा एक ही गांव में निवासरत है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से उक्त वर्णित 4.3410है0 भूमि, पारिवारिक बंटवारा में वादी संख्या 1 व उसके परिवार को सुपुर्द की गयी थी, क्योकि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का मौखिक परिवारिक बंटवारा आज से करीबन 10-15 वर्ष पूर्व हो चुका था, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ने आश्वासित किया था कि वह उसके नाम से दर्ज 4.3410है0 भूमि वादीगण के नाम से अंकित करवा देगा या वह चाहेगे उस परिवार के सदस्य के नाम से अंकित करवा देगे। हालांकि बंटवारा के पूर्व में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का परिवार एक साथ संयुक्त रूप से निवासरत था, लेकिन परिवार में वृद्धि हो जाने के कारण, वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी अपनी परिवार का अपनी सुविधाओ के अनुसार निवास स्थान पृथक पृथक कर लिया और पृथक-पृथक निवास बनाकर, निवास कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से उक्त वर्णित भूमि संयुक्त परिवार की आय से खरीदशुदा सम्पति है, जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खरीद की गयी थी। पारिवारिक बंटवारा के अनुसार उक्त 4.3410है0 भूमि पर कब्जा काश्त वादीगण का संयुक्त रूप से चला आ रहा है। वादीगण उक्त भूमि का अपनी सुविधाओ के अनुसार कब्जा काश्त है तथा उक्त भूमि की तमाम सुविधाओ की पूर्ति कर रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी सहमति से काफी समय पूर्व मौखिक बंटवारा करके, सम्पतियो का कब्जा सुपुर्द अवश्य कर रखा है, लेकिन कुछ सम्पतिया आज भी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्णित है। हालांकि वादीगण उक्त भूमि की देखरेख एवं तमाम सुविधो की पूर्ति की जा रही है और वादीगण के द्वारा उक्त भूमि में काफी रूपये लगाकर, भूमि को अत्यधिक उपजाऊ बनाया है, लेकिन आज भी वर्तमान में उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व अभिलेख में अंकित है। इस कारण वादीगण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादीगण उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार मौखिक आग्रह किया गया, लेकिन पारिवारिक मतभेद होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 1 आनाकानी करता आ रहा है और प्रतिवादी संख्या 1 आज कल का कहकर, कोई संतोषजनक जवाव नही दे रहा है। वादीगण की आयु काफी हो चुकी है और वह आज तक प्रतिवादी संख्या 1 के साथ शांतिपूर्वक पारिवारिक व्यवहार के साथ रहे है, वादीगण नही चाहते कि प्रतिवादी संख्या 1 के साथ कोई मुकदमावाजी बढे या उनके मध्य कोई विवाद पैदा हो। इसलिए वादीगण ने आज से 15 रोज पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 व उनके परिवार को मौजिज व्यक्तियो की उपस्थिति में पुनः आग्रह किया कि वह सहमति से सम्पति का राजस्व अभिलेख में अंकन वादीगण के नाम से करवा देवे, तो प्रतिवादी संख्या 1 व उनके द्वारा परिवार द्वारा कोई जवाव नही दिया और वादीगण का सहयोग करने से साफ इंकार हो गये है। यही

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

वाद कारण है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि चक 7 डब्ल्यू, पटवार मण्डल रामगढ़संगर की चालू जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 31/29 में कुल 4.3410है0 कृषि भूमि का मौखिक पारिवारिक वंटवारा के अनुसार वादीगण को वहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा पेश किया। नकल वादीगण अधिवक्ता को दिलाई गई। सामिल मिसल किया गया। वादीगण गुरबचन सिंह कंग, मनजिन्द्र कौर कंग व प्रतिवादी प्रीतम सिंह के द्वारा न्यायालय में स्वंय उपस्थित आकर समझौतानामा पेश किया। समझौतानामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया। दोनों पक्षों के द्वारा समझौतानामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। समझौतानामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। हस्तगत प्रकरण में दोनो पक्षों के द्वारा समझौतानामा पेश किया गया है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादी का वादपत्र दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादीगण का वादपत्र उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार डिक्री किये जाने की ईशतदुआ की है। वादीगण के वादपत्र मय शपथपत्र, प्रतिवादी संख्या 1 के जवाबदावा एवं समझौतानामा मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण का वाद पत्र दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा मुताबिक डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी, प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार भली-भांति सावित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 7 डब्ल्यू, पटवार हल्का रामगढसंगर, भू.अ.नि. क्षेत्र लखिया, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 31/29 के मुरब्बा नम्बर 1, 20, 48/13 की कुल 4.341 हैक्टेयर भूमि का मनजिन्द्र कौर कंग पत्नी गुरबचन सिह कंग जाति जटसिख निवासी चक 7 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर को खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 17.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर) ★ उपखण्ड

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

गुरबचन सिंह कंग आदि बनाम प्रीतम सिंह आदि
धारा अन्तर्गत 88, 91 आरटीए
मुकदमा नम्बर **244/2024**
निर्णय दिनांक :- 15.01.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड, प्रतिवादी अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 7 डब्ल्यू, पटवार हल्का रामगढसंगर, भू.अ.नि. क्षेत्र लखिया, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 31/29 के मुरब्बा नम्बर 1, 20, 48/13 की कुल 4.341 हैक्टेयर भूमि का मनजिन्द्र कौर कंग पत्नी गुरबचन सिह कंग जाति जटसिख निवासी चक 7 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर को खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 17.01.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	1500	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**1504**	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
दिनांक: 17.01.2025

क्रमांक: रीडर/2024/26
प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)